रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1792] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2009/कार्तिक 12, 1931

No. 1792] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2009/KARTIKA 12, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2009

का.आ. 2796(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 656(अ), तारीख 12 मार्च, 2009 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 12 मार्च, 2009 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) जिला "कुरूक्षेत्र" से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, तालुक "1 थानेसर" के सामने, स्तंभ (7) में, प्रविष्टि "(3) चनारथल" के पश्चात् प्रविष्टि "(4) ढोला माजरा" अंत:स्थापित की जाएगी;

(4) जिला "अम्बाला" से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, तालुक "अम्बाला" के सामने, स्तंभ (7) में, प्रविष्टि "(7) खुर्मपुर माजरी" के पश्चात् प्रविष्टि "(8) पट्टी जट्टान" अंत:स्थापित की जाएगी ।

[फा. सं. भाराराप्रा/डीके-II/एलए/चरण-V/अम्बाला/एचआर]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 656(अ), तारीख 12 मार्च, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 12 मार्च, 2009 में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2009

S.O. 2796(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the then Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 656(E), dated the 12th March, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th March, 2009, namely :-

In the Schedule to the said notification,—

(a) against, Serial number 2 relating to District "Kurukshetra", against Taluk "1 Thanesar", in column (7), after the entry "(3) Chanarthal", the entry "(4) Dhola Majra" shall be inserted;

(b) against, Serial number 3 relating to District "Ambala", against Taluk "Ambala", in column (7), after the entry "(7) Khurmpur Majri", the entry "(8) Patti Jattan" shall be inserted.

[F. No. NHAI/DK-II/LA/Phase-V/Ambala/HR]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Footnote : The principal notification was published *vide* S.O. 656(E), dated the 12th March, 2009, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 12th March, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.